राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–6) विभाग

क्रमांक : एफ. 13(5)ग्रावि / ग्रुप–6 / 2005 जयपुर, दिनांक 30 मार्च, 2015

आदेश 10 / 2015

:: मगरा क्षेत्रीय विकास योजना – दिशा निर्देश (संशोधित) ::

1.0 प्रस्तावना :–

1.1 राज्य के दक्षिण–मध्यीय जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो छोटी– छोटी पर्वत श्रृखंलाओं (पहाड़ियों) से घिरा हैं, जहां अन्य पिछडी जाति जैसे रावत, मेहरात एवं अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं, इस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र कहा जाता हैं ।

1.2 राज्य के मगरा क्षेत्र का चिन्हीकरण विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाकर मगरा क्षेत्र में 5 जिले यथा **अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद एवं पाली जिले** की कुल 14 पंचायत समितियॉ शामिल हैं।

1.3 राजस्थान राज्य के मगरा क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण आधारभूत सुविधाऐं विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 की बजट घोषणा अनुसार दिनांक 02.08.2005 से लागू की गयी है ।

1.4 राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2014–15 बजट घोषणा –

- **66-00 :- "राज्य के कई क्षेत्र अन्य क्षैत्रों की तुलना में पिछड़े हैं। ऐसे जनजाति, मगरा, डांग, गूजर बाहुल्य व मेवात क्षैत्र में Infrastructure विकास और सेवाओं के लिए गठित संस्थाऐं मेवात क्षैत्रीय विकास बोर्ड, मगरा क्षैत्रीय विकास बोर्ड,देवनारायण बोर्ड और डांग क्षैत्रीय विकास बोर्ड को Strengthen किया जायेगा। ये संस्थायें अपने कार्य क्षैत्र में Infrastructure विकास के लिए चल रही सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए Infrastructure Gaps चिन्हित करेंगी।"**
- **66.30 :- "अगले 5 वर्षो के लिए Infrastructure Gaps के विकास के लिए मगरा योजना हेतु 300 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है।"**

की क्रियान्विति एवं मगरा क्षेत्र का समग्र विकास करने के उद्देश्य से मगरा क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देश (संशोधित) जारी किये जाते हैं ।

2.0 योजना का उद्देश्य :–

प्रदेश का मगरा क्षेत्र जिसमें अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं, राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के संशोधित दिशा निर्देशों से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी :–

2.1 मगरा क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक आधाभूत ढॉचागत विकास।

2.2 सामुदायिक एवं अन्य आधारभूत भौतिक परिसम्पत्ति सृजन ।

2.3 श्री योजना में शामिल 5 मूल आधारभूत सुविधाऐं यथा ग्राम स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आन्तरिक सड़के, शिक्षा एवं ग्राम में रोशनी की व्यवस्था के कार्यो का प्राथमिकता से सम्पादन।

2.4 जनसंख्या के आधार पर मगरा ग्रामीण क्षेत्र का चरणबद्ध समग्र विकास।

2.5 मगरा ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं ग्राम की जनसंख्या के आधार पर गांवों का समग्र विकास।

2.6 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना एवं अन्य विकास योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।

2.7 स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं आवश्यक संसाधनों का विकास ।

2.8 शिक्षा, चिकित्सा एवं पुरातत्व, पर्यावरण संरक्षण आदि से सम्बन्धित कार्य।

2.9 कला, संस्कृति एवं पर्यटन विकास।

3.0 योजना क्षेत्र :—

मगरा क्षेत्र विकास योजना राज्य के 5 जिलों की 14 पंचायत समितियों के 1669 गांवों में लागू होगी।

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	पूर्ण/ आंशिक	योजनान्तर्गत शामिल गांवों की संख्या
1	अजमेर	1. जवाजा 2. मसूदा	पूर्ण पूर्ण	224 163
2	भीलवाडा	1. आसीन्द 2. मांडल 3. रायपुर	आंशिक आंशिक आंशिक	74 80 34
3	चित्तोडगढ	1. निम्बाहेडा	आंशिक	32
4	पाली	1. रायपुर 2. मारवाड जंक्शन	आंशिक आंशिक	58 40
5	राजसमंद	1. भीम 2. देवगढ 3. आमेट 4. कुम्भलगढ 5. राजसमंद 6. खमनोर	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	141 135 152 168 149 217
	योग	14		1669

मगरा क्षेत्र में शामिल गांवों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 15.70 लाख है ।

4.0 मगरा योजना निधि का अवमोचन (व्यय विवरण) :—

4.1 यह पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है।

4.2 मगरा योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर उपलब्ध निधि में से 3 प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्यय (राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर) हेतु उपलब्ध होगी।

4.3 प्रशासनिक मद की आरक्षित राशि के उपरान्त अवशेष राशि सम्बन्धित जिलों को निम्नानुसार आवन्टित होगी —

i. उपलब्ध निधि की 50 प्रतिशत राशि :— सम्बन्धित जिले के योजना में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के आधार पर

ii. उपलब्ध निधि की 50 प्रतिशत राशि :— सम्बन्धित जिले में मगरा क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत एवं राज्य की औसत साक्षरता प्रतिशत का अन्तर, के आधार पर।